चित्रकूट-पुलिस

(1). 10 वर्षों से फरार, 10 हजार रुये के इनामी अभियुक्त गिरफ्तार अवैध तमंचा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 10 वर्षों से फरार, 10 हजार के इनामी, मफरुर अपराधी को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर एवं नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 GJ01 VP3211 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संजय सिंह उर्फ सुक्खू सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह उर्फ चम्बुल सिंह निवासी ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 107/2014 धारा 504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट
2.मु0अ0सं0 135/2017 धारा 352,429,504 भादवि0 थाना मानिकपुर
3.मु0अ0सं0 81/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी-

(1) 01 अदद तमंचा 315 बोर
(2) 02 अदद कारतूस 315 बोर
(3) नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 GJ01 VP3211

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- मुक्तिधाम से हरदौली पुरवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 26.04.2024
समय-07:10 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुक्तिधाम से हरदौली पुरवा की तरफ जाने वाले रास्ते से मु0अ0सं0 107/2014 धारा 504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में 10 वर्षों से फरार, माननीय न्यायालय से मफरुर घोषित व 10 हजार रुपये के इनामी अपराधी संजय सिंह उर्फ सुक्खू सिंह पुत्र स्व0 देवराज सिंह उर्फ चम्बुल सिंह निवासी ग्राम गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर एवं नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 GJ01 VP3211 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पूंछतांछ में बताया कि मैंने वर्ष 2014 में मैने गांव के ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट की थी जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया था उसके बाद मैं अहमदाबाद भाग गया था, चोरी छिपे गाँव में आता था अपनी सुरक्षा के लिये मैं तमंचा रखता हूँ। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 81/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह
2.आरक्षी मनोज कुमार
3.आरक्षी राजमंगल

(2). आज दिनाँक 26.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात परेड ग्राउण्ड में पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव के दौरान आगामी वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. कार्यक्रमों के दृष्टिगत वीवीआईपी/वीआईपी की सुरक्षा सम्बन्धित बिन्दुओं एवं रिंग राउण्ड टीम, रिजर्व पूल की डियूटियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कर रिहर्सल करायी गयी। बाद प्रशिक्षण/रिहर्सल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा आदेश कक्ष में कर्मचारीगण का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नीलू यादव पुत्र मुन्ना यादव उर्फ सुमन कुमार निवासी चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी करने वाली टीमः-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा
2.आरक्षी राहुल पुरी
3.आरक्षी महेन्द्र कुमार

(4). आज दिनाँक 26.04.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा अपराध शाखा कालूपुर में अपराध शाखा के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी ली गयी तथी लम्बित रखने का कारण पूछा गया तथा क गुण दोष के आधार पर लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 10 लीटर कच्ची व 43 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i).चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मनीलाल उर्फ मुन्नीराम पुत्र स्व0 बिन्दा निवासी भंभई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0 श्री इंदल सिंह थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शारदा पुत्र राजाराम निवासी टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री सुशीलचन्द्र निगम थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त लाला भइया पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम करका पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब क साथ गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम महिला थाना की पुलिस टीम टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती अंकिता सिंह पत्नी विशाल सिंह निवासी पुत्री शिवलोचन सिंह निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा पति विशाल पुत्र मुन्नालाल निवासी द्वारिकापुरी किंगसन स्कूल कर्वी थाना कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। थानाध्यक्ष महिला थाना तथा उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज

2.उ0नि0 श्री संतोष कुामर त्रिपाठी

3.महिला आरक्षी नीतू नायत

(7). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।